सर्वोदय प्रेस सर्विस

साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा, 29 संवाद नगर, नवलखा, इंदौर–452001 (म.प्र.) फोन एवं फैक्स– (0731) 2401083

संस्थापक – सम्पादक : सव. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

E.mail - indoresps@gmail.com
sps2005@dataone.in

वर्ष : 10 (52), अंक 11, पृष्ठ संख्या : 10 प्रकाशनार्थ सप्रेस आलेख : 35, इंदौर, शुक्रवार 10 जून 2011

(कृपया 13 जून 2011 के पूर्व प्रकाशित न करें)

जनलोकपाल अधिनियम की कठिन डगर

✍ श्याम बहादुर नम्र

लोकपाल अधिनियम पर बनी संयुक्त समिति आम सहमति से निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करती नजर आ रही है। प्रक्रिया में मत भिन्नता स्वाभाविक ही है। परंतु यह विश्वास किया जा सकता है कि अंततः देश के भ्रष्टाचार से निपटने की एक कारगर व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। का. सं.

जन लोकपाल अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर नजर दौड़ाने के पूर्व एक बार हमें आजादी के इतिहास और उसके बाद के लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया पर नजर डालना जरूरी है। देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो संविधान बना वह यहां की परिस्थिति के अनुसार विकसित न होकर पश्चिमी देशों के संविधान की महत्वपूर्ण बातों को लेकर बना। औपनिवेशिककाल की व्यवस्था ज्यों की त्यों आजाद भारत में लागू कर दी गई, जो अभी तक कायम है। आजादी के बाद कुछ दशकों तक राजनीतिज्ञ एक नए समाजवादी भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे। उस समय भ्रष्टाचार पुलिस, प्रशासन और अदालतों के बाबूओं तक सीमित था। लेकिन धीरे–धीरे बाद में भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की नीति आने के बाद सांसदों के चरित्र में बदलाव आया और वहां धन और डंडे के बल पर लोग चुनाव जीत कर जाने लगे और देश में भ्रष्टाचार का राज हो गया।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारे देश में जो तंत्र है वह सरकार के अधीन है जो अधिकांशतः सरकारी आदेश से काम करता है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण पुलिस और जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम नही कर पातीं इसलिए प्रशासनिक अधिकारी और सत्ताधारी नेता आरोप से बच जाते हैं या मुकदमे सालों साल चलने से वे जेल से बाहर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डॉ. सोली जे. सोराबजी की अध्यक्षता में सितंबर 2005 में नया पुलिस अधिनियम बनाने के लिए समिति गठित की थी। लेकिन सरकारें उस इस मॉडल अधिनियम को लागू करने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि पुलिस पर उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने से वे उनका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी।

हाल में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के अनेक बड़े घोटालों में पहल की है और सरकारों को फटकार भी लगाई है। जिससे सरकार हरकत में भी आई और केंद्रीय मंत्री तथा बड़े अधिकारी सहित बड़ी मछलियां भी सलाखों के पीछे डाली जा रही हैं। यदि अन्ना हजारे जैसे लोग कारगर कानूनों के निर्माण के साथ न्यायपालिका को भी अधिक सक्षम बनाने के लिए आंदोलन करते तो भी तो भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन जैसे हमारा संविधान पश्चिमी देशों की नकल से बना है वैसे ही लोकपाल की अवधारणा भी पश्चिमी देशों की देन है।

स्वीडन में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकपाल संस्था का गठन 200 साल पहले 1809 में हुआ था। स्वीडिश भाषा में वहां इसे ओमबुड्समैन कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटेन सहित डेनमार्क, नार्वे, फिनलैंड आदि अनेक देशों में इसका गठन हुआ और हर देश की राजनैतिक परिस्थिति के अनुसार ओमबुड्समैन यानी लोकपाल के अलग अलग नाम और काम हैं। जिस स्वीडन में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सबसे पहले लोकपाल संस्था का गठन हुआ था भारत द्वारा उसी देश की बोफोर्स तोप की खरीदारी में हुई दलाली में स्वीडन की सरकार ने दलालों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसका प्रमुख कारण है कि पश्चिम के देश अपने देशहित को सारे कानून से ऊपर रखते हैं। हमें लगता है कि दूरगामी भविष्य का ध्यान रखते हुए हमें आजाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए एक बार पूरे संविधान, कानून, पुलिस, प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात सोचकर लोगों मे बहस और जागरूकता का आंदोलन चलाना चाहिए। लोकायुक्त की व्यवस्था न्याय प्रणाली की असफलता के फटे में पैबंद लगाना है जिसे मजबूरी में ही सही ठीक से तो लगाना ही पड़ेगा।

वर्तमान लोकायुक्त व्यवस्था में अभी केंद्रीय स्तर पर कोई लोकपाल नहीं है। प्रदेश स्तर पर लोकायुक्त की भूमिका केवल सलाह देने की है। वर्तमान में कुल 17 राज्यों में लोकायुक्त का गठन हुआ हैं। हर राज्य में इसके गठन की प्रक्रिया और नियम व अधिकार

का दायरा एक जैसा नहीं है। कर्नाटक और मध्यप्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री भी इसके अधिकार क्षेत्र मे नहीं आते। मंत्रियों और सांसदों के विरुद्ध जांच और मुकदमे के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। जजों के विरुद्ध जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति जरूरी है।

सरकार ग्यारहवीं बार जो लोकपाल अधिनियम संसद में पेश करना चाहती थी उसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय व्यवस्था का प्रावधान है। अन्ना हजारे को आशंका है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सरकार से उपकृत हो सकते हैं और इससे उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसलिए वे जन लोकपाल अधिनियम में ग्यारह सदस्यीय लोकपाल चाहते हैं जिसके चार कानून विशेषज्ञ हों और बाकी दूसरे क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं।

प्रस्तावित शासकीय लोकपाल अधिनियम में भी प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच से मुक्त रखा गया है तथा मंत्रियों और सांसदों के विरुद्ध जांच और मुकदमे के लिए लोकसभा या राज्यसमा के अध्यक्ष की अनुमति जरूरी मानी गई है। जन लोकपाल कानून के समर्थकों का कहना है कि इससे बोफोर्स घोटाला, झारखंड मुक्तिमोर्चा सांसद खरीदी कांड और लखूभाई पाठक केस जैसे मामलों मे प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए और प्रधानमंत्री, मंत्री तथा सांसदों के विरुद्ध जांच और मुकदमे के लिए केवल लोकपाल या लोकायुक्त की अनुमति की बाध्यता होनी चाहिए। इतना ही नहीं उन्हें शिकायत मिले बगैर भी स्वतः सज्ञान से भी जांच करने की शक्ति मिलनी चाहिए।

लोकपाल कानून में भी दोषियों को छः माह से सात साल तक की सजा का प्रावधान है और भ्रष्टाचार से कमाई गई काली कमाई जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जन लोकपाल अधिनियम के समर्थक यह मानते हैं कि काली कमाई जब्त न होने और कम सजा के प्रावधान से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद रहेंगे क्योंकि सजा के बाद वे काली कमाई से मौज करेंगे। इसलिए इस प्रस्तावित कानून में दोषियों की काली कमाई जब्त करते हुए उन्हें कम से कम पांच साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है। मेरी राय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की काली कमाई विदेशों में जमा करना भ्रष्टाचार के साथ राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध है। उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा देने के बजाय उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन लेना बेहतर होगा। उनकी पूरी काली कमाई जब्त कर उनके वोट देने या किसी पद पर खड़े होने के सारे राजनीतिक अधिकार आजीवन छीन लिए जाए।

इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी नागरिक का कोई काम किसी सरकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका है तो लोकपाल संबंधित अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माना करेगा जो शिकायतकर्ता को अदा किया जाएगा। यदि कई कोई घपला हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत पर लोकपाल एक साल के भीतर जांच कर अगले एक साल में मुकदमा पूरा कर अपराधी को सजा देगा।

समिति के वर्तमान स्वरूप को लेकर काफी असमंजस हैं। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार को सचमुच समाप्त करना चाहते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह संयुक्त समिति तो केवल लोकपाल बिल का मसौदा बनाने वाली अल्प अवधि की समिति है जो मसौदा बनाने के बाद भंग हो जाएगी। यह बिल को पारित करने वाली समिति नहीं है। बिल पारित करने का काम तो संसद का है।

लेकिन लोकपाल के गठन को लेकर एक सवाल और उठ रहा है कि लोकपाल को जिस तरह सर्वसत्ता संपन्न संस्था के रूप में गठित करने की बात कही जा रही है उससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बाधित होंगी और दोनों संस्थाओं में कलह भी हो सकती है। लोकपाल संस्था में सदस्य भी उसी समाज के लोग होंगे जिस समाज से न्यायाधीश, प्रशासक और नेता आते हैं। जिस तरह न्यायाधीशों पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं उस तरह के आरोप लोकपाल के सदस्यों पर भी लग सकते हैं। तब यह सवाल तो उठता ही है कि उनकी जांच कौन करेगा? वैसे संयुक्त समिति का कार्य अभी प्रारंभिक चरण में ही है। लेकिन हमें अच्छे परिणाम की आशा रखनी चाहिए और पश्चिम की नकल न कर भविष्य के भारत के लिए स्वदेशी विचार का विकल्प भी खोजना चाहिए। (सप्रेस)

परिवय – ☐ श्री श्याम बहादुर नम्र वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता हैं। जे.पी. आंदोलन के दौरान 'तरुण मन' पत्रिका के सम्पादक रहे। इन दिनों अनूपपुर जिले में जमुड़ी स्थित जैविक कृषि के कार्य में लगे हैं।

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस सर्विस'** के नाम भेजें।

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र
सप्रेस आलेख : 36 : 2011–12
दिनांक : 10–06–2011
प्रकाशनार्थ
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083

सर्वोदय प्रेस सर्विस बुलेटिन
साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा
29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
E.Mail - **indoresps@gmail.com**
sps2005@dataone.in

(कृपया 13 जून 2011 के पूर्व प्रकाशित न करें)

सूरमा गांव की सुरमाई : बाघ और इंसान साथ–साथ

✍ रोमा और रजनीश

उत्तरप्रदेश के खीरी जिले का सूरमा गांव देश का ऐसा पहला गांव बन गया है जो कि अपने संघर्ष के बल पर टाइगर रिजर्व का भाग बन गया है। नए वनाधिकार कानून का लाभ उठाकर सूरमा गांव के आदिवासियों ने खुद को उजड़ने से बचा लिया है। उनका यह संघर्ष और जीत देशभर के टाइगर रिजर्व व अन्य वनों से विस्थापितों के लिए उदाहरण बन सकता है। का.सं.

उत्तरप्रदेश के खीरी जिले का सूरमा गांव देश का ऐसा पहला वनग्राम बन गया है, जिसके बाशिंदे थारू आदिवासियों ने पर्यावरण बचाने की जंग अभिजात्य वर्ग द्वारा स्थापित मानकों और अंग्रेजों द्वारा स्थापित वन विभाग से जीत ली है। बड़े शहरों में रहने वाले पर्यावरणविदों, वन्यजीव प्रेमियों, अभिजात्य वर्ग और वन विभाग का मानना है कि आदिवासियों के रहने से जंगलों का विनाश होता है, इसलिए उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिए। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक रूप में देखा जाए तो आदिवासियों और वनों के बीच अटूट रिश्ता है। वन हैं तो आदिवासी हैं और आदिवासी हैं तो दुर्लभ वन्यजीव जंतु भी है।

वनग्राम सूरमा और गोलबोझी के आदिवासियों ने आखिर वनाधिकार कानून 2006 के सहारे यह साबित कर दिया कि वन्यजीव–जंतुओं की तरह वे भी वनों के अभिन्न अंग हैं, जिसे दुर्भाग्यवश वन विभाग और अभिजात्य वर्ग समझने में असमर्थ हैं। सूरमा वनग्राम को इस कानून के तहत देश में किसी नेशनल पार्क के कोर जोन में मान्यता पाने वाले पहले गांव का गौरव प्राप्त हुआ। बीते 8 अप्रैल को जिलाधिकारी खीरी ने स्वयं इन गांवों में जाकर 347 परिवारों को मालिकाना हक सौंपा।

सत्तर के दशक से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वन विभाग और वन्यजीव जंतु प्रेमियों द्वारा गांव की मौजूदगी का जमकर विरोध किया जाता रहा है। जिसके चलते पिछले तीस सालों के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों से हजारों परिवारों को संविधान के अनुच्छेद 21 की मंशा के खिलाफ और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बेरहमी से बेदखल किया गया। लेकिन 2006 में बने वनाधिकार कानून ने संकटग्रस्त वन्यजीव जंतु आवास क्षेत्र घोषित करने की योजना में वहां रहने वाले ग्रामीणों की भागीदारी को स्वीकारा और उन्हें वनों के अंदर रहने की अनुमति प्रदान की। राष्ट्रीय पार्कों में वनाधिकार कानून लागू न करके वन विभाग द्वारा लोगों को दस लाख रुपये का लालच देकर गांव खाली करने के लिए फुसलाया जा रहा है। कई जगहों पर वनों से लोगों की बेदखली बदस्तूर जारी है।

सूरमा का संघर्ष तमाम थारू क्षेत्र की गरिमा का सवाल था। यह सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वनों एवं वन्यजीव जंतुओं को बचाने का भी संघर्ष भी था। आजादी के बाद से ही दुधवा के अंदर वनों का अंधाधुंध दोहन शुरु हो गया। वन विभाग, पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल की साठगांठ से वन्यजीव– जंतुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हुए। आदिवासियों के लिए वन उनकी जीविका का साधन होते हैं। इसलिए वनों का विनाश उनके लिए नुकसानदायक था। बाघों के साथ उनका जीवन सहज ही था बाघ और मनुष्य में किसी प्रकार का बैर नहीं था। लेकिन वनों को राजस्व प्राप्ति का साधन मान लिए जाने के कारण स्थानीय लोगों और आदिवासियों को वनों का दुश्मन करार दे दिया गया।

सूरमा गांव का इतिहास 1861 में वन विभाग की स्थापना के बाद बनी इस क्षेत्र की विभिन्न कार्य योजनाओं में मिलता है। उनमें बताया गया है कि यह गांव 1857 से भी पूर्व से बसा है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने वन विभाग की स्थापना भी नहीं की थी यहां थारुओं के 37 गांव थे, जो बदिंया गांव के नाम से जाने जाते थे। 28 फरवरी 1879 को ये नेपाल सीमा के रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिए गए। यह इलाका उस समय अवध प्रांत की खैरीगढ़ रियासत का हिस्सा था। जिसे महारानी खैरीगढ़ ने 1904 में हुए एक करारनामे पर हस्ताक्षर करके वन विभाग के अधीन कर दिया था। वनग्राम बनाने का मतलब था इन गांवों के तमाम अधिकारों का खात्मा और इनसे वनों के अंदर बेगार कराना।

1978 तक ये गांव वन विभाग के नियंत्रण में रहे। दुधवा नेशनल पार्क की घोषणा के बाद 37 में से 35 थारू गांव राजस्व विभाग को सौंप दिए गए। जबकि बिली अर्जन सिंह द्वारा इस वन क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। दुधवा नेशनल पार्क बना। लेकिन आजाद भारत में थारुओं के तमाम संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए और इन्हें वन विभाग का गुलाम बना दिया गया। यह वहीं बिली अर्जनसिंह हैं,

जिन्होंने 12 साल की उम्र में बांध का शिकार किया था। बिली ने इस नेशनल पार्क के अंदर और बाहर 400 एकड़ भूमि पर कब्जा भी कर लिया था। जिसमें से 80 एकड़ भूमि अभी हाल में बसपा सरकार द्वारा जब्त की गई है। यहां एक तरफ शिकारियों को प्रोत्साहन मिला और वहीं दूसरी तरफ थारू आदिवासियों को उपेक्षा एवं तिरस्कार।

आज से महज चार वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन के अंदर किसी गांव को मालिकाना हक भी प्राप्त हो सकता है। यह तभी संभव हो पाया जब 2006 में अनुसूचित एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों को मान्यता) अधिनियम पारित हुआ और वनों में रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य परम्परागत वन समुदायों को अंग्रेजों के जमाने से स्थापित वन विभाग की गुलामी से मुक्ति मिली। हम कह सकते हैं कि सूरमा को 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 8 अप्रैल 2011 को आजादी मिली।

इस गांव को वन विभाग द्वारा उजाड़ने की पूरी रणनीति बन चुकी थी, लेकिन जनसंगठनों, राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवि मंच, थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच और मीडिया के सक्रिय सहयोग के सहारे सूरमा ने अपना संघर्ष जारी रखा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए सूरमा पिछले 33 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा था।

इस कानून के तहत गठित राज्य निगरानी समिति में जब सूरमा का मामला उठा, तब जाकर सरकार जागी। पड़ताल करने पर राज्य निगरानी समिति ने पाया कि उच्च न्यायालय में वन विभाग द्वारा जो तथ्य पेश किए गए थे, वे झूठे थे। नया कानून आने के बाद सूरमा के विषय में पुनः विचार किया जा सकता था। यह मामला चूंकि राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन का मामला था, इसलिए इसे राज्य निगरानी समिति द्वारा न्याय विभाग को सौंपा गया। जिसने अंततः दिसम्बर 2010 में इस गांव को पार्क क्षेत्र में वनाधिकार कानून के तहत बसाए जाने की सिफारिश की।

वनाधिकार कानून की धारा 4 (2) एवं 4 (5) और राज्य सरकार द्वारा 13 मई 2005 के पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के कब्जे वाली जमीनों को नियमित करने के आदेशों को भी ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई।

यह एक ऐतिहासिक जीत थी, जो न सिर्फ सूरमा या खीरी या उत्तरप्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले वनाश्रित समुदायों और जनसंगठनों के आंदोलनों की जीत है। अब सूरमा जैसी नजीर पैदा हो जाने के बाद देश के अन्य नेशनल पार्कों में स्थित ऐसे कई गांवों को ताकत मिलेगी। वे अब वन विभाग की विस्थापन की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। इस प्रकार वे जंगलों को और वन्यजीव–जंतुओं को भी बचाएंगें। (सप्रेस)

---

ifjp; & □ सुश्री रोमा एवं रजनीश राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
रोमा उ.प्र. में वनाधिकार कानून के लिए गठित राज्य निगरानी समिति की आमंत्रित सदस्या भी हैं।

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस सर्विस'** के नाम भेजें।

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र
सप्रेस आलेख : 37 : 2011–12
दिनांक : 10–06–2011
प्रकाशनार्थ
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083

सर्वोदय प्रेस सर्विस बुलेटिन
साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा
29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
E.Mail - **indoresps@gmail.com**
sps2005@dataone.in

(कृपया 13 जून 2011 के पूर्व प्रकाशित न करें)

जीविका और जीवन उजाड़ता पर्यटन

✍ आरती श्रीधर

पूरा सरकारी तंत्र पर्यटन को रोजगार का बड़ा स्त्रोत बता रहा है। साथ ही इससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा पर इतराता भी है। पर्यटन विकास की प्रक्रिया में हम भूल जाते हैं कि इससे पारम्परिक संसाधनों पर आश्रित समुदाय के रोजगार को चोट पहुंचती है। आवश्यकता है इस विरोधाभासी प्रवृत्ति को विस्तार से समझ कर कोई समझबूझ भरा हल निकाला जाए। का. सं.

इससे आगे जाना असंभव है। हाल ही में बनी पक्की सड़क एकाएक गायब हो गई। ऐसा लगता है कि बंगाल की खाड़ी की लहरें इस सड़कों को लील गई हैं। परंतु अजीब बात है कि इसी के समानांतर भूमि पर समुद्र की भूख से अविचलित भवन निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। सामान्यतया समुद्र के इतने समीप निर्भीक होकर रहने का साहस केवल मछुआरे ही कर सकते हैं। परंतु 'सोनार बांग्ला होटल' या विशाल व मनोहारी श्री धनंजय कथा बाबा आश्रम या गांधी लेबर फाउंडेशन की रहवासी कॉलोनी, मछुआरों की रिहायशों के सटीक नाम नहीं जान पड़ते हैं और ना ही पुरी शहर के भीड़ भरे सी बीच रोड (समुद्र किनारे की सड़क) पर एक दूसरे से जुड़े हुए कपड़े के असंख्य एम्पोरियम, लाज, होटल या रेस्टारेंट कहीं से भी मछुआरों की बस्ती का आभास नहीं देते। वास्तविकता तो यही है कि यह सड़क किसी भी कोण से ओडिशा के समुद्रतटीय क्षेत्र का आभास नहीं देती।

नेशनल फिशर वर्कस फोरम (एनएफएफ) ने 2008 में पारम्परिक मछुआरा समुदाय के लिए शर्तिया भूमि अधिकार की मांग करते हुए नारा दिया था 'समुद्र तट बचाओ–मछुआरों को बचाओ।' प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ और उनके संबंधियों से संबंधित रथयात्रा में शामिल होने के लिए शहर में इकट्ठा होते हैं। मंदिर भी पुरी के एक मछुआरा शहर होने को सहजता से छुपा लेता है और श्रद्धालु पर्यटक भी सी–बीच रोड पर हो रहे तमाशे की वजह से इस स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। इससे बची खुची जमीन भी समुद्र तट का हिस्सा हो जाती है और तट पर रहने वालों के लिए स्थान भी कम होता जाता है।

मछुआरों की ये बस्तियां पुरी नगरपालिका की सीमा में स्थित हैं। इसमें मछुआरों की एक जाति नालिया निवास करती है, जो कि यहां विभिन्न चरणों में आकर बसी है। 150 वर्ष पूर्व बसी बालिनोलियासाही सबसे पुरानी बस्ती है जो कि सबसे मध्य में स्थित है। इसके 5 कि.मी. उत्तर में पेंटाकोटा नामक बसाहट है जो कि मात्र 60 वर्ष पुरानी है। इसके दक्षिण में गौडाबादसाही स्थित है। पेंटाकोटा सबसे बड़ी बस्ती है। जिसकी आबादी करीब बीस हजार है। बालिनोलियासाही और गौडाबादसाही में क्रमशः 5 हजार व 3 हजार मछुआरे रहते हैं।

पुरी जिले की ओडिशा पारम्परिक मछुआरा यूनियन के समन्वयक अंका गणेश राव हमें इस बस्ती में ले गए जिसे सघन होटलों और दुकानों ने घेर रखा है। इस मछुआरा बस्ती में न तो किसी के पास पट्टा है और बालि– नोलियासाही जैसी बस्ती के लोगों के पास सामुदायिक अधिकार भी नहीं हैं। राज्य द्वारा मछुआरा समुदायों को भू स्वामित्व या भूअधिकार देने का मसला अभी भी उलझा हुआ है। सर्वव्याप्त विभ्रम और अनेक विकल्पों के चलते ऐसा कोई कानूनी प्रयत्न ही नहीं हो रहा है जिससे मछुआरा समुदाय की स्थिति और उनके अधिकार सुस्पष्ट हो सकें।

समुद्र तट मछुआरा समाज के सामाजिक– आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है तभी तो वे समुद्रतटीय विषम जलवायु, चक्रवात और तूफान से निपटते रहते हैं। सन् 1999 में आए भयावह तूफान के बावजूद सभी बस्तियां तट पर उसी स्थान पर बसी हुई हैं। हाल ही में विभिन्न कारणों के चलते समुदाय दूसरी जगह बसने को तत्पर हुआ है। भूमि की उपलब्धता और तट पर स्थान की कमी बसाहटों की वृद्धि में बड़ी रुकावट है। समुद्र के क्षरण के कारण भी कई परिवार सरकार द्वारा सुझाई गई भूमि पर बसने के प्रस्ताव से सहमत हो रहे हैं। परंतु पारम्परिक मछुआरा, समुदायों को अपनी नावों को खड़ा करने, मछलियों की नीलामी, मछली सुखाने, जाल बनाने व सुधारने के लिए समुद्र तट पर स्थान की आवश्यकता है। इसी के साथ वर्ष में औसतन पर्यटकों के दो बार भ्रमण के कारण होने वाली अत्यन्त भीड़ की वजह से वहां पर विभिन्न गतिविधियां चलती रहती हैं। इस सबके बीच पुरी के होटल मालिक जो कि मछुआरों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी नहीं हैं, लगातार असहनशील बने हुए हैं।

मछुआरे मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें तट पर फैलाते हैं। होटल वाले जिला कलेक्टर से बदबू की शिकायत करते हैं। पुलिस मछुआरों को धमकी देती है। मछुआरे क्षेत्र खाली कर देते हैं। इसके बाद वे कुछ देर, इंतजार करते हैं, देखते हैं और तट पर वापस आ जाते हैं। बालिनोलियासाही मछुआरे पूछते हैं कि यदि हम मछलियां तट पर नहीं रखेंगे और सुखाएंगे तो ये कार्य और कहां करेंगे। पर्यटन से संबंधित निर्माण की अंतिम परिणिति पेंटाकोटा मछुआरा बस्ती है। हालांकि यह सघन और बड़ी बस्ती है और ओडिशा के समुद्र तट पर बसी अन्य नालिया बस्तियों की तरह दूर तक फैली हुई है।

पेंटाकोटा भारत के 3202 मछुआरा गांवों में से एक है। नवीनतम जनगणना के अनुसार इन गांवों में 35.20 लाख मछुआरे रहते हैं। आजादी के बाद से आज तक किसी भी राज्य सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि मछुआरा समुदाय को समुद्रतटीय भूमि पर अधिकार दे दिए जाए। इतना ही नहीं उन्हें समुद्र में पहुंच संबंधी अधिकार भी नहीं दिए गए। इसके विपरीत प्रत्येक सरकार ने समुद्रतटीय औद्योगिकरण और गैर समुद्रीय गतिविधियों को वरदहस्त प्रदान कर रखा है।

नोबल पुरस्कार विजेता इलिनोट ओस्ट्रोम द्वारा सामान्य लोगों पर किया गया अध्ययन बताता है कि सामुदायिक संपत्ति संसाधन के सिद्धांत को सामान्यतया बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से समझा गया है। लेकिन इस संबंध में की गई कोई भी गलती का प्रभाव पारम्परिक रूप से इन संसाधनों पर निर्भर समुदाय के जीवित रहने और उनकी पहचान पर विपरीत ही पड़ेगा। पुरी की सी बीच रोड इसका ज्वलंत उदाहरण है और इसीलिए वहां का मछुआरा समुदाय बाहर खदेड़े जाने का विरोध कर रहा है। (सप्रेस/थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क फीचर्स)

परिचय – ☐ आरती श्रीधर सामाजिक एवं पर्यावरणीय शोध कार्यकर्ता हैं। वे दक्षिण फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं।

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस सर्विस'** के नाम भेजें।

R.N.I. NO. MPHIN/200/8445, डाक पंजीयन क्रमांक **1074/2009-11/** इंदौर (म.प्र.)

सर्वोदय प्रेस सर्विस
समाचार

29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083 **E.Mail - indoresps@gmail.com, sps2005@dataone.in**

प्रकाशनार्थ | समाचार | दिनांक : 10 जून 2011

भ्रष्टाचार मुक्त भारत : सरकार और आमजन एक सामूहिक अभियान बनें

गांधी विचारकों का वक्तव्य

नईदिल्ली (सप्रेस)। रामलीला मैदान में 4 व 5 जून की दरमियानी रात में सत्ता शक्ति ने जो अविवेकपूर्ण बर्बर दृश्य उपस्थित किया वह वास्तव में लोकतंत्र पर एक कलंक है। उस अर्द्धरात्रि में पुलिस हिंसा की निर्मम कार्यवाही ने आजाद भारत के इतिहास के कुछेक काले पन्नों में एक नया काला पृष्ठ जोड़ दिया है। ये बातें गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं सर्व सेवा संघ की अध्यक्षा सुश्री राधा भट्ट, गांधी स्मारक निधि के श्री रामचंद्र राही एवं एकता परिषद के संयोजक राजगोपाल पी.वी. ने एक प्रेस वक्तव्य में कही।

उन्होंने कहा कि जहां तक गांधी–विचार के अंतर्गत कार्य करने वाली जमात का सवाल है, वह विचारपूर्वक निर्णय करके कभी किसी दल के साथ नहीं जुड़ी है। वह स्वयं को जनता के साथ जोड़ती है। उसको सम्पूर्ण पर विश्वास है 'पार्ट' पर नहीं। अतः समाचार पत्रों के किसी कोने में छपे इस शीर्षक, कांग्रेस के साथ रहने वाले गांधीवादी अब रामदेव के साथ आए, को हम पूर्णतः गलत और भ्रामक मानते हैं और उसका खंडन करते हैं।

इन सभी गांधी विचारकों ने कहा कि हम भ्रष्टाचार निराकरण के लिए किए जा रहे सद् प्रयासों के साथ हैं। पर हमारा पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण प्रतिबद्धता है कि सच्चाई के लक्ष्य के लिए साधन व प्रक्रियाएं भी शुद्ध व पारदर्शी हो एवं सच्चाई के शोधक का हृदय पूरी तरह क्रोध, आवेश व द्वेष से मुक्त हो।

वक्तव्य में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निराकरण के लिए सरकार, कानून तथा राजनीतिक स्तर पर हो रहे प्रयास आवश्यक है। पर दैनिक जीवन में व्याप्त हर छोटे भ्रष्टाचार (जो आज शिष्टाचार बन गया है) को दूर करने के लिए आमजन को एक समझपूर्ण अभियान या आंदोलन छेड़ना चाहिए। 'हम रिश्वत नहीं देंगे पर हमारा काम होना ही चाहिए' यह कहने, करने का साहस लोकशक्ति में भी आना है। तभी देश को हम 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत' बना सकेंगे।

☒☒☒☒

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के 75 वर्ष पर 16 जून को एक दिनी अनुष्ठान

सेवाग्राम (सप्रेस)। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान वर्ष 2011 में अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। महात्मा गांधी 16 जून 1936 को सेवाग्राम में आए और लगभग एक दशक तक वर्धा में रहे। इस वर्ष 16 जून 2011 को सेवाग्राम आश्रम में परम्परानुसार सादगीपूर्ण तरीके से आश्रम दैनंदिनी के साथ एक दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है।

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मा.म. गडकरी तथा मंत्री विनोद स्वरूप ने नागरिकों से आव्हान किया है कि बापू के बताये मार्ग व आज की विसंगतियों में पड़े उनके तत्व चिंतन को अपने जीवन में अधिकाधिक शामिल करने हेतु आश्रम परिवार से जुड़े। इस मौके पर सुबह–शाम प्रार्थना सभा तथा अखंड सूत कताई कार्यक्रम होगा।

☒☒☒☒

श्री देवी प्रसाद नहीं रहे : श्रद्धांजलि

नईदिल्ली (सप्रेस)। सुपरिचित कलाकार और शिक्षाविद देवीप्रसाद का 1 जून को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। 1921 में देहरादून में जन्मे देवी प्रसाद ने 1938 में शांतिनिकेतन से कला स्नातक की उपाधि ली। शांतिनिकेतन में उन्हें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का सान्निध्य प्राप्त हुआ और उस दौर के तीन महान कलाकारों नंदलाल बोस, बिनोदबिहारी मुखर्जी और रामकिंकर से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी मिला। मगर प्रभावित हुए गांधीजी के अहिंसा सिद्धांत से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर कला को पेशा बनाने के बजाय समाज सेवा के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना। 1944 में गांधीजी के आश्रम सेवाग्राम में चले गये।

देवी प्रसाद ने सेवाग्राम में कला–शिक्षा, खासकर कुंभकारी प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोला और नई तालीम पत्रिका का संपादन शुरु किया। उन्हें यकीन था कि गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिक्षा संबंधी विचारों पर अमल के जरिए बुनियादी शिक्षा को अधिक रोचक, रचनात्मक और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। उन्होंने सेवाग्राम में रहते हुए प्राथमिक शिक्षा, खासकर कला–शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय अभिनव प्रयोग किए। उन्होंने भूदान और ग्रामदान आंदोलन में भी हिस्सा लिया।

शांतिपूर्ण दुनिया का सपना लेकर वे युद्ध विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'वार रजिस्टर्स इंटरनेशनल' से जुड़े और इसके जरिए गांधीजी के अहिंसा संबंधी विचारों को दुनिया भर में फैलाते रहे। डब्ल्यूआरआई के महासचिव और फिर अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन की गतिविधियों को विश्वव्यापी बनाया और यूरोप में युद्ध के कारण समाज में हुई टूट–फूट की तरफ लोगों का ध्यान दिलाते रहे।

देवी प्रसाद की रचनाओं में आधुनिकता और परम्परा का अद्भुत सामंजस्य रहा। चीनी मिट्टी के शिल्प बनाते हुए भी बराबर उनका ध्यान पारम्परिक कुंभकारी पर बना रहा। इस तरह उनकी कृतियां गंवई गंध और रूपाकार लिए हुए होती थीं। सेरेमिक में विषय–वस्तु और तकनीक संबंधी उनके प्रयोग इस क्षेत्र के बहुत सारे कलाकारों के लिए पाठ सरीखे हैं। उन्होंने अनेक नौजवानों को सेरेमिक से शिल्प रचने में पहचान दिलाई।

देवी प्रसाद जितने गुणी चित्रकार, शिल्पकार, लेखक थे उतने ही कुशल लोक शिक्षक भी थे। वर्ष 2007 में उन्हें ललित कला अकादमी ने 'कला रत्न' से विभूषित किया। सेरेमिक में अतुलनीय योगदान के लिए विश्व–भारती ने वर्ष 2008 में उन्हें 'देशिकोत्तम' मानद उपाधि से सम्मानित किया। पर अपनी उपलब्धियों को उन्होंने कभी बाजार में भुनाने की कोशिश नहीं की। वे अपने लेखों, पुस्तकों, अनुवाद आदि के जरिए ताउम्र गांधी–विचार को फैलाने में लगे रहे।

सर्वोदय प्रेस सर्विस एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

☒☒☒☒

पुनर्वास अधिकारी और दलाल की गठजोड़ उजागर

इंदौर (सप्रेस)। सरदार सरोवर बांध प्रभावितों की फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच कर रहे न्यायाधीश एस.एस.झा आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान पुनर्वास अधिकारी और दलालों की गठजोड़ उजागर हो रही है। एनवीडीए के पटवारी के साथ–साथ चपरासी भी फर्जीवाड़े में पीछे नहीं रहे।

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान मोलखड़ (निसरपुर) के सुरेश नारायण ने आयोग के सामने खुलासा किया कि उसे फर्जीवाड़े के लिए कुक्षी के पुनर्वास अधिकारी ने प्रेरित किया था। पुनर्वास अधिकारी द्वारा बताए गए दलाल राजू कमदार ने 30 हजार रुपए लेकर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी। इसके पश्चात मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि जमीन विक्रेता रामचंद्र बार्चे ने कोई जमीन नहीं बेची थी। ऐसा ही प्रकरण डेहर (निसरपुर) के रमेश–सोमारिया, पिपलुद (बड़वानी) के जगदीश हीरा और खेड़ी (बड़वानी) के भगवान–मेघा को भी पटवारी, पुनर्वास अधिकारी, दलालों, चपरासी दस्तावेज लेखकों की मिलीभगत से फर्ली रजिस्ट्री करो को आसानी से अंजाम दिया गया।

उक्त जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अमूल्य निधि, भागीरथ कवचे तथा राहुल यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

☒☒☒☒

सर्वोदय प्रेस सर्विस
29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083 E.Mail - indoresps@gmail.com, sps2005@dataone.in

संस्थापक – सम्पादक : स्व. महेन्द्रकुमार कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

lEiknd dh vksj ls---- दिनांक : 10 जून 2011

मर्यादा का संकट

सरकार और बाबा रामदेव के आपसी विवाद और रामलीला मैदान में हुए बल प्रयोग से दोनों ही पक्षों का असली चेहरा सामने आ गया है। जहां सरकार ने एक अहिंसक जमावड़े पर रात के तीसरे पहर में सुनियोजित ढंग से हमला कर नागरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की धज्जियां उड़ा दी वहीं दूसरी और बाबा रामदेव द्वारा 'शस्त्र और शास्त्र से लैस' ग्यारह हजार युवाओं की सेना का निर्माण कर और 'दिल्ली कूच' की घोषणा कर रामलीला मैदान में उनके हिसाब से हुई 'रावणलीला' के प्रतिकार का हर ढूंढ लिया है।

इस सबके बीच जनलोकपाल अधिनियम की वकालत करने वाले समूह को जंतर मंतर पर अनशन की अनुमति न देकर सरकार ने अपने डर का सार्वजनिककरण भी कर दिया। मगर जिस शालीनता से अन्ना हजारे और समूह ने सरकार के इस अवैध आदेश को मानते हुए 'राजघाट' पर अपना सांकेतिक अनशन किया उससे एकाएक सुकरात के उस कथन की याद हो आई जो उन्होंने मृत्युदण्ड के दौरान जहर पीते हुए अपने साथियों से कहा था। उनका मानना था कि राज्य एक अनिवार्य बुराई है एवं इससे भागा नहीं जा सकता और अन्ततः राज्य के कानूनों का पालन करते हुए भी राज्य को चुनौती दी जा सकती है।

धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के एक गीत में प्रहरी गाता है कि 'मर्यादाओं को दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम कौरवों ने कुछ ज्यादा।' यहां किसी भी पक्ष को कौरव या पांडव न ठहराते हुए हमें विचार करना चाहिए कि सरकार द्वारा हिंसक तरीके अपनाने के बाद क्या बाबा रामदेव द्वारा 'शस्त्र व शास्त्र से लैस' सेना के गठन की घोषणा को न्यायोचित ठहराया जा सकता है? अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाबा पर हुए दमन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका आशय वह नहीं था जो कि वास्तव में उन्होंने कहा था।

महात्मा गांधी ने कहा था साधन की पवित्रता ही साध्य की पवित्रता का निर्धारण करती है। यदि बाबा रामदेव को प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आक्रोश को नियंत्रित रख पाने में असहजता महसूस हो रही है, तो आवश्यक है कि वे अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को तत्काल वापस लें और गहन चिंतन के बाद पूरी तैयारी से पुनः इस आंदोलन को प्रारंभ करें। वैसे प्रक्रिया को अपनाने में उन्हें यह संकट अवश्य महसूस होगा कि क्या 'दोबारा' ऐसा माहौल बन पाएगा? महात्मा गांधी ने चौरा–चौरी में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कतिपय पुलिसकर्मियों के मारे जाने से व्यथित होकर आत्मावलोकन व आंदोलन में बच रही कमियों पर विचार करने के लिए इस समय चरम पर पहुंचे अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। तब भी अनेक लोगों ने गांधीजी के इस कार्य से असहमति जताई थी। मगर गांधीजी अड़े रहे और स्वतंत्रता संग्राम का 'बाकी इतिहास' इस बात का गवाह है कि उनका निर्णय युगान्तरकारी था।

वैसे नागरिक समूह ने इस आक्रोशित समय में पूरी मर्यादा में रहते हुए जिस तरह से रामलीला मैदान में हुए अत्याचार का विरोध किया है उससे आशा बंधी है कि भारत में अभी भी भारत में लोकतंत्र के बचे रहने की पूरी संभावना है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में अधिकांश जनता की संविधान के प्रति आस्था बरकरार है। इस संकट और उत्तेजित करने वाले समय में भी अपनी नैतिकता को पूर्णतया बरकरार रखना वास्तव में प्रशंसनीय है। हम सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लोकपाल विधेयक के प्रारूप को लगातार विवादास्पद बनाती जा रही है। वह मसौदा समिति की बातचीत को भी सार्वजनिक नहीं कर रही है और राजनीतिज्ञों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिए उकसा रही है कि वे प्रस्तावित लोकपाल अधिनियम का विरोध करें। क्योंकि सरकार के हिसाब से सिविल सोसायटी सांसदों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि 'कानून बनाने का अधिकार' सिविल सोसायटी को नहीं दिया जा सकता। वैसे सिविल सोसायटी कोई मंगल ग्रह से आए व्यक्तियों से नहीं बनी है जो यह नहीं जानती हो कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र है।

जहां तक बात बाबा रामदेव द्वारा शस्त्र और शास्त्र की है उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वे अभी अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं और उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान आज आम जनता को प्रभावित करता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। दूसरी ओर उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर उठ रहे सवालों के जवाब भी उन्हें स्वमेव और तत्काल जनता के सामने रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता को लेकर उठ रहे प्रश्नों का निराकरण पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।

'शस्त्र और शास्त्र से लैस सेना' के गठन की बात कर बाबा रामदेव ने न केवल अपना पक्ष कमजोर किया है बल्कि हम सबको भी सोचने पर मजबूर किया है कि क्या भारत में राजनीतिक चेतना पर व्यक्तिगत भावनाओं को हावी होने दिया जा सकता है? हम सभी जानते हैं कि हिंसा से और हिंसा ही उपजती है। आदिवासी क्षेत्रों में हो रही हिंसा और प्रतिहिंसा से देश जिस स्थिति में पहुंचता जा रहा है वह हमसे छिपी नहीं है। ऐसे में हिंसा की किंचित भी तरफदारी खतरनाक सिद्ध होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष वास्तविकता को समझकर एक बार पुनः अहिंसक तरीकों से समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। वैसे राजघाट पर हुए अनशन से भरोसा होता है कि संभावनाएं अभी भी शेष है।

– चिन्मय मिश्र